संख्या-8/2018/560/एक-4-2018

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

(2) चकबन्दी आयुक्त,
उ0प्र0 लखनऊ।

(3) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(4) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक:17 मार्च,2018**

विषयः- राजस्व वादों के त्वरित/समयबद्ध/गुणवत्ता परक निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या-274/एक-4-2018 दिनांक 09.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-397/एक-4-2018 दिनांक 28.02.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व वादों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न हो पाने के कारण प्रभावित पक्षों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में भी निरन्तर याचिकायें योजित की जा रही है। समय-समय पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में राजस्व वादों की स्थिति तथा कार्यपद्धति पर असन्तोष व्यक्त किया गया है। अतः राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु पूर्व में समय-समय पर राजस्व न्यायालयों के समस्त पीठासीन अधिकारियों हेतु निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं।

2- अत: आपको पुन: निर्देशित किया जाता है कि राजस्व वादों के त्वरित/ समयबद्ध/ गुणवत्ता परक निस्तारण के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेशों/आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें तथा पूर्व में संस्थित वादो से सम्बन्धित वर्ष वार वाद दाखिला रजिस्टरो को स्कैन कर उनके कम्प्यूटर कापी को संरक्षित किया जाये।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी समस्त पीठासीन अधिकारियों को निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।